—प्रेस नोट—

जनपद मीरजापुर।

दिनांकः 07.06.2022

थाना अहरौरा पुलिस द्वारा जंगल के रास्ते क्रूरता पूर्वक वध हेतु ले जाए जा रहे 29 राशि गोवंश बरामद, तीन अभियुक्त गिरफ्तार —

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व पशु तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जंगल के रास्त पैदल वध हेतु ले जाए जा रहे 29 राशि गोवंशो को थाना अहरौरा पुलिस द्वारा बरामद कर तीन अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। दिनांकः 07.06.2022 को थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह मय हमराह देखभाल क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि इसी दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि गोवंश तस्कर द्वारा सुकृत बाडर के पास जंगल महाल के रास्ते कुछ लोग गोवंशों को वध हेतु मारते पीटते हुए पैदल ले जा रहे है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा सुकृत बाडर पुलिया के पास से तीन व्यक्ति 1. हरिओम गौड़ पुत्र लालमन गौड़ निवासी ग्राम सेमरी थाना मड़िहान मीरजापुर, 2. बेचु चौहान पुत्र प्रभु चौहान निवासी अमृतपुर थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली, 3. बृजेश चौहान पुत्र स्व0 शंकर चौहान निवासी ग्राम रामपुर थाना चांदपुर कैमुर भभुआ बिहार को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये व्यक्ति से पुछताछ मे बताया की हम लोग पशुओं को जंगल के रास्ते वध हेतु ले जा रहे थे। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर गोवध अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. हरिओम गौड़ पुत्र लालमन गौड़ निवासी ग्राम सेमरी थाना मड़िहान मीरजापुर
2. बेचु चौहान पुत्र प्रभु चौहान निवासी अमृतपुर थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली
3. बृजेश चौहान पुत्र स्व0 शंकर चौहान निवासी ग्राम रामपुर थाना चांदपुर कैमुर भभुआ बिहार

विवरण बरामदगी—

1-कुल 29 राशि गोवंश

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

SO संजय कुमार सिंह थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर

हे0कां0 सचिन मौर्या थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर

हे0कां0 सीता राम यादव थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर

रि0कां0 राजेन्द्र सोनकर थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर

म0का0 प्रियंका विजरोन्या थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर